प्रेस विज्ञापति
05/03/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय खुफिया यूनिट (एचआईयू) ने मेसर्स एटम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 27.02.2026 को मुंबई एवं चेन्नई में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी द्वारा अब तक की गई जांच से पता चला है कि एटम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्टिमस फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, बबली इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सुप्रीमस एंजेल तथा अन्य संबद्ध संस्थाएँ मिलकर एक कार्टेल के रूप में कार्य कर रही थीं। इन संस्थाओं ने अपने निदेशकों/प्रमुख व्यक्तियों, अर्थात् सतीश कुमार, संजय दमानी, नीरज निसार, क्रिश वोहरा, मनीष सोनी तथा श्रीमती निशा कुमारी के माध्यम से निर्दोष व्यक्तियों को एनएसई लिमिटेड के गैर-सूचीबद्ध शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया। निवेशकों को धोखाधड़ीपूर्वक यह विश्वास दिलाया गया कि उनके पास एनएसई लिमिटेड के गैर-सूचीबद्ध शेयर उपलब्ध हैं और उक्त शेयर निवेशकों को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। हालांकि, जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपियों के पास वास्तव में एनएसई लिमिटेड के गैर-सूचीबद्ध शेयरों का कोई स्टॉक या कब्जा नहीं था। इन झूठे वादों के आधार पर उक्त संस्थाओं ने निवेशकों के साथ प्रीमियम पर शेयर क्रय समझौते किए तथा अनेक निर्दोष निवेशकों से अग्रिम के रूप में बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त की। चूंकि एनएसई इंडिया लिमिटेड के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, इसलिए इन शेयरों की विक्रेता से खरीदार को डिलीवरी किसी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विनियमित नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त, निवेशकों से अग्रिम के रूप में प्राप्त अपराध की आय (पीओसी) को आरोपियों द्वारा विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से अंतरित किया गया तथा उसे चल एवं अचल संपत्तियों में निवेश किया गया। तलाशी के दौरान आरोपियों द्वारा अर्जित संपत्तियों से संबंधित विवरण, अपराध-संकेती दस्तावेज तथा डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं, जिनकी वर्तमान में जांच की जा रही है, ताकि आरोपियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के वास्तविक पैमाने का पता लगाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, प्रमुख व्यक्तियों/संस्थाओं, मुख्य रूप से सतीश कुमार, संजय दमानी, मेसर्स एटम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ऑप्टिमस फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स बबली इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के विभिन्न बैंक खातों और डीमैट खातों को पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1ए) के अंतर्गत फ्रीज कर दिया गया है, क्योंकि इनमें अपराध की आय पाए जाने के संकेत प्राप्त हुए हैं।

जांच से यह भी पता चला है कि आरोपियों के विरुद्ध पीड़ितों द्वारा देश के विभिन्न भागों में कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, जिनमें से कुछ शिकायतों पर अभी तक संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

मामले में आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।